प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष ।

यादी कमांक 2/2/2015–4 स्था:।।

दिनांक 26.02.2015

विषयः– सेवादार –कम–चौकीदारों के रिक्त पदों को स्थानान्तरण आधार पर भरने बारे।

....

हरियाणा सिविल सचिवालय में सेवादार –कम–चौकीदारों के कुछ रिक्त पदों को वेतन बैंड 1S 4440–7440 ग्रेड वेतन 1300+30 रुपये विशेष वेतन में नियमित आधार पर कार्य कर रहे उन कर्मचारियों में से स्थानान्तरण आधार पर भरा जाना प्रस्तावित है जो कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्य करते हुए कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखते हों और जिनकी शैक्षणिक योग्यता हिंदी सहित आठवी पास हो।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों में से जो कर्मचारी हरियाणा सिविल सचिवालय में स्थानान्तरण आधार पर उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक हों और उक्त वर्णित योग्यताओं एवं अनुभव को पूर्ण करते हो उनके आवेदन पत्र अपनी सिफारिश सहित दिनांक **16.03.2015** तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता को निम्नलिखित ब्यौरा देते हुए अवश्य भिजवाने की व्यवस्था करें:–

नाम	पद संज्ञा	स्थाई/ अस्थाई	वर्ग (प्रमाण पत्र सहित)	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र सहित)	सेवा में नियुक्ति का माध्यम एवं नियुक्ति की तिथी
1.	2.	3.	4.	5.	6.

3. कृपया आवेदन पत्र भेजते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये की जिन कर्मचारियों के आवेदन पत्र भेजे जा रहे है उनके विरूद्व कोई शिकायत अथवा जांच/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला लम्बित व विचाराधीन न हो और उनका गोपनीय रिकार्ड 70 प्रतिशत या इससे अधिक, अच्छे स्तर का हो तथा उनकी ईमानदारी भी सन्देहजनक न हो। सम्बन्धित कर्मचारी/ कर्मचारियो की गोपनीय रिपोर्ट की सांक्ष्याकित समरी आवेदन पत्र के साथ भेजी जाये।

4. निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधीक्षक स्थापना–।।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृ0क0 2/2/2015–4स्था II

दिनांक चण्डीगढ़ 26.02.2015

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को भेजकर सूचित किया जाता है कि वह कृपया अपने अधीन कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उपरोक्त बारे नोट करवा दें:–

1 सचिव/राज्यपाल, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2 निदेशक अल्प बचतें, हरियाणा चण्डीगढ़ (सचिवालय शाखा)।
3 सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग।
4 मुख्य मंत्री जी के प्रधान सचिव/विशेष कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी।
5. सभी मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव/वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव।
6. डिप्टी चैयरमैन प्लानिंग बोर्ड।
7. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/अधीक्षक/उपाधीक्षक /अन्य शाखा इंचार्ज।
8. प्रशासकीय अधिकारी/आर.वी.ए. तथा परिचालन सहायक।

अधीक्षक स्थापना–II,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।